मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 2945 / 2101340 / 2024 / 18—3 भोपाल दिनांक 01/10/2024

प्रति,

श्री शफीक खान
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद् सिवनी
जिला सिवनी

द्वारा : संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर।

विषय :— मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41—क व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र।

——00——

आप दिनांक 10.08.2022 से वर्तमान तक निर्वाचित होकर नगर पालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। इस पदावधि के दौरान निकाय में हुई अनियमितताओं की जांच कराई गई। जांच में आप कतिपय गंभीर अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी प्रतीत होते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

1. नगर पालिका परिषद सिवनी में स्टेडियम परिसर एवं पीजी कॉलेज में 9 मीटर हाईमास्ट लाइट 6 नग 200 वॉट LED Flood Light सहित क्रय किये जाने हेतु जैम पोर्टल से Comparison के आधार पर राशि रुपए 1,24,800 / — प्रति नग की दर कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रशासक नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को स्वीकृत की गई थी। तदनुसार राशि रुपए 2,49,600 / — का कार्यादेश दिनांक 26.04.2022 को संविदाकार को प्रदान किया गया था।

   जांच प्रतिवेदन अनुसार संविदाकार द्वारा दिये गये कार्यादेश के अनुपालन में सामग्री प्रदाय नहीं की गई तथा दिनांक 12.12.2022 को दिनांक 26.04.2022 को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया गया, किन्तु प्रकरण में संविदा अनुसार सामग्री आपूर्ति में विफल रहने वाले संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है।

   नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा पुनः दिनांक 30.12.2022 को 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट, 6 नग 200 वॉट LED Flood Light क्रय किए जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। उक्त निविदा की बिड दिनांक 18.01.2023 को खोली गई, जिसमें न्यूनतम निविदा दर 2,98,000 / —रुपए प्रति नग प्राप्त हुई। जांच प्रतिवेदन एवं क्रय संबंधी नस्ती की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर पालिका परिषद सिवनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा उक्त दरों को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई तथा तदनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दरों की सक्षम स्वीकृति हेतु दिनांक 19.01.2023 को नस्ती आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आपके द्वारा स्वीकृति स्वरुप हस्ताक्षर किये गये।

   जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निकाय के अधिकारियों, निविदा समिति एवं आपके द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अप्रैल 2022 में उक्त सामग्री की दर मात्र 1,24,800 / — रुपये प्रति नग स्वीकृत की गई थी तथा मात्र 9 माह

पश्चात प्राप्त दर रुपये 2,98,000/– प्रति नग पूर्व स्वीकृत दर से दोगुने से भी अधिक कैसे हो सकती है। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं इस बात पर विचार किए बिना आनन–फानन में आपके द्वारा निविदा दर स्वीकृत की गई। उक्त क्रय की कुल लागत नस्ती अनुसार रुपये 5,96,000/– अंकित है, जबकि तत्समय अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद को रूपये 5,00,000/– तक की ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी। आपके द्वारा न्यूनतम दर स्वीकृत किए जाने के पश्चात दिनांक 16.02.2023 को पी.आई.सी. से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्राप्त किया जाना पाया गया। हाईमास्ट स्थापना पश्चात भुगतान के पूर्व क्रय उपरांत सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया, जबकि निविदा दस्तावेजों में अंकित शर्तों में गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख था। हाईमास्ट लाइट स्थापना के बाद भुगतान के पूर्व नियमानुसार विद्युत निरीक्षक से या मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के पंजीकृत तथा अधिकृत इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर से नहीं कराया गया।

9 मीटर के हाईमास्ट पोल, 6 नग 200 वॉट LED Flood Light सहित दरें UADD ISSR 2021 में उल्लेखित है, जिसके अनुसार उक्त क्रय की कुल लागत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित रुपये 1,37,635/– होती है, जिसे आपकी सहमति से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायकर्ता तथा अन्य के द्वारा अवांछित लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है।

यही नहीं अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में स्वीकृत निविदा दर रूपये 1,24,800/ प्रति नग सीधे निरस्त की गई है तथा नस्ती में संविदाकार द्वारा संविदा अनुसार कार्य नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि पूरी कार्यवाही निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर अवांछित लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। उक्त अनियमितता के लिए नगर पालिका परिषद सिवनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

2. नगर पालिका परिषद सिवनी में उक्त अवधि के दौरान नगर पालिका के सामने तिराहा, प्रायवेट बस स्टैण्ड, कचहरी चौक तथा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में कुल 4 नग 12 मीटर हाईमास्ट, 12 नग 400 वॉट LED क्रय हेतु पी.आई.सी. की बैठक में पारित संकल्प क्रमांक 20 दिनांक 21.09.2022 से 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त की गई। प्राप्त स्वीकृति के आधार पर दिनांक 31.12.2022 को जेम पोर्टल पर बिड आमंत्रित किया जाकर दिनांक 18.01.2023 को फाइनेशियल बिड खोली गई। न्यूनतम दर रूपये 4,65,000/– प्रति नग मेसर्स राय ट्रेडर्स की प्राप्त हुई। प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति एवं अतिरिक्त व्यय रूपये 8,60,000/– की वित्तीय स्वीकृति हेतु निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार पी.आई.सी. के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे पी.आई.सी. की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 16.02.2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। जांच प्रतिवेदन एवं क्रय संबंधी अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राप्त न्यूनतम दर रूपये 4,65,000/– प्रति नग की उपयुक्तता के संबंध में निविदा समिति एवं आपके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा प्रचलित बाजार दर से अपेक्षाकृत अधिक दर स्वीकृत की गई। स्वीकृत न्यूनतम दर की तुलना UADD ISSR 2021 से किए जाने पर दर लगभग रूपये 65,000/– प्रति नग अधिक पाई गई है। प्रचलित बाजार दर से अधिक दर पर क्रय किए जाने से निकाय को रुपये 2,60,000/– की आर्थिक हानि हुई है। यही नहीं सामग्री का मूल्य रूपये दस लाख से अधिक होने के बाद भी निविदा में

समय–सीमा 15 दिवस ही रखी गई, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते है।

3. यह कि नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा उक्त अवधि में पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 50 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार 90 नग 90 वॉट LED Light क्रय किये जाने हेतु दिनांक 24.07.2023 को जेम पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। निविदा में न्यूनतम दर 8250/– रूपये प्रति नग प्राप्त हुई, जिसे आपके द्वारा स्वीकृत किया गया। पी.आई.सी. द्वारा पारित संकल्प में बजाज कंपनी से LED Light क्रय किए जाने का उल्लेख है, किंतु निकाय द्वारा क्रय की गई LED Light की Technical Specification सामग्री IS Certification एवं Brand का उल्लेख नहीं पाया गया है। क्रय की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। टेंडर डॉक्युमेंट में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं पाई गई है। UADD ISSR 2021 से दरों का मिलान करने में पाया गया है कि 90 वॉट LED Light की कुल दर 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 8,150 रूपये प्रति नग होती है। स्वीकृत दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। LED Light की क्रय प्रक्रिया में नियमों में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

4. यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा 140 नग 26 वॉट LED Light क्रय की गई। उक्त सामग्री की न्यूनतम दर रुपये 3557/– प्रति नग आपके द्वारा स्वीकृत की गई। क्रय की गई सामग्री में Brand का कोई उल्लेख नहीं है। दरों का मूल्यांकन भी नहीं किया गया। सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं कराया गया। स्वीकृत न्यूनतम दर UADD ISSR 2021 से मिलान करने पर 140 नग 26 LED Light की 18 प्रतिशत जीएसटी सहित प्रति नग रूपये 2589/– होती है। 140 नग की कुल राशि रूपये 3,62,449/– होती है। इस प्रकार आपके द्वारा निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अपेक्षाकृत अधिक दर पर सामग्री क्रय किया जाकर निकाय को लगभग रुपये 1,36,000/– की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

5. यह कि उक्त अवधि मे नगर पालिका परिषद सिवनी में दिनांक 26.09.2022 को 120 नग 36 वॉट LED Light क्रय किया जाना पाया गया है। जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दर आपके द्वारा रूपये 4150/– प्रति नग स्वीकृत की गई है। प्रदायकर्ता को रुपये 4,98,000/– का भुगतान किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त दर का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा इस पर विचार नहीं किया गया कि प्राप्त दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं। क्रय की गई LED Light कोई प्रतिष्ठित Brand की नहीं पाई गई है। बिना Brand के 36 वॉट LED Light की दरें ऑनलाइन लगभग 900 रुपये प्रति नग दर्शित है तथा बजाज कम्पनी की Branded LED Light की दर रूपये 1800/– प्रति नग ऑनलाइन दर्शित है। आपके द्वार बिना Brand की LED Light प्रतिष्ठित Brand की Light की प्रचलित बाजार दर से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायकर्ता एवं स्वयं को अवांछित आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है। अभिलेखों में सामग्री की Test एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि

नहीं पाई गई है। सामग्री क्रय किए जाने में नियमों में वर्णित प्रक्रिया का खुला उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

6. यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद सिवनी में आपके द्वारा 5000 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। फिनोलिक पाउडर का क्रय जेम पोर्टल से तुलनात्मक पद्धति से किया गया, जिसकी न्यूनतम दर 49 रुपए प्रति किलोग्राम थी। न्यूनतम दर की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया हैं। जांच प्रतिवेदन अनुसार इसके अतिरिक्त अलग-अलग दिनांकों में खंड-खंड करके निकाय में फिनोलिक पाउडर क्रय किया जाना पाया गया है। अभिलेख अनुसार दिनांक 08.06.2023 को 5000 किलोग्राम दर 49 रुपये प्रति किलोग्राम दिनांक 14.07.2023 को 2892 किलोग्राम दर 34.51 रुपए प्रति किलोग्राम, दिनांक 14.08.2023 को पुनः 5000 किलोग्राम दर 49.9 रुपए प्रति किलोग्राम, दिनांक 04.10.2023 को 2840 किलोग्राम दर 40 रूपये प्रति किलोग्राम दिनांक 29.01.2024 को 1400 किलोग्राम दर 64 रुपये प्रति किलोग्राम एवं दिनांक 08.03.2024 को 2450 किलोग्राम दर 33.90 रूपये प्रति किलोग्राम इस प्रकार कुल 19222 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर दिनांक 08.06.2023 से दिनांक 08.03.2024 तक 9 माह की अवधि में रुपये 34.51 प्रति किलोग्राम की दर से लेकर रुपए 64 प्रति किलोग्राम तक की दर से क्रय किया गया है।

अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फिनोलिक पाउडर की आवश्यकता का कहीं आंकलन नहीं किया गया। आंकलन करके वर्ष भर की आवश्यक मात्रा के लिए दर आमंत्रित की कार्यवाही नहीं की गई तथा जानबूझकर आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक दरों पर नियमों का खुला उल्लंघन करते हुये खण्ड-खण्ड करके फिनोलिक पाउडर क्रय करने की कार्यवाही की गई। अधिक दर पर सामग्री क्रय किए जाने से निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है। यही नही मात्र 09 माह की अवधि में 19222 कि.ग्रा. फिनोलिक पाउडर की आवश्यकता का कोई औचित्य में अभिलेखों में नहीं पाया गया है, जिससे पूरी क्रय प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसके लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

7. यह कि उक्त अवधि में आपके द्वारा 5000 लीटर सफेद फिनाइल क्रय किया जाने हेतु रूपये 2,49,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदत्त स्वीकृति अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को 49.99 पर प्रति लीटर की दर से सफेद फिनाइल क्रय किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार निकाय में सफेद एवं काला फिनाइल खंड-खंड में 40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 76 रुपए प्रति लीटर की दर से पृथक-पृथक क्रय किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 04.08.2023 को 5000 लीटर दर 49.99 रुपए प्रति लीटर, दिनांक 04.10.2023 को 2480 लीटर दर 40 रूपये प्रति लीटर, दिनांक 12.12.2023 को 1200 लीटर दर 54 रुपए प्रति लीटर, दिनांक 21.12.2023 को 1300 लीटर दर 76 रूपये प्रति लीटर इस प्रकार दिनांक 04.08.2023 से दिनांक 21.12.2023 तक की अवधि में 5 माह में 40 रूपये प्रति लीटर से लेकर 76 रूपये प्रति लीटर की दर से पृथक-पृथक दर पर सफेद एवं काला फिनाइल कुल 14,880 लीटर क्रय किया जाना पाया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवश्यकता का आंकलन किया जाकर वृहद स्वरूप की खरीदी निविदा के माध्यम से न करके नियमों का खुला उल्लंघन करते हुये टुकड़ों-टुकड़ों में लगभग हर माह खरीदी की गई है। हर माह अलग-अलग दर पर फिनाइल क्रय किया गया है, जिससे पृथक-पृथक दरों पर खण्ड-खण्ड

में सामग्री क्रय करने से निकाय को आर्थिक हानि हुई है तथा नियमों में वर्णित क्रय संबंधी प्रक्रिया का उल्लंघन होना भी पाया गया है। मात्र 05 माह में इतनी अधिक मात्रा में फिनाइल खरीदने का कोई औचित्य भी अभिलेखों में नहीं पाया गया है तथा इतनी अधिक मात्रा में फिनाइल का क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

8. यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु शौचालय/मुत्रालय की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुये दोनों ही प्रकार की सामग्री का क्रय तुलनात्मक पद्धति से जेम पोर्टल से की गयी है। FRP Urinal एवं शौचालय संख्या 08 नग के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2023 को स्वीकृति की गयी। इसी प्रकार दिनांक 20.10.2023 को ही पृथक प्रकरण में FRP Urinal शौचालय 08 नग को क्रय करने की स्वीकृति रू. 2.50 लाख दी गयी। दोनों की सामग्रीयों को जेम पोर्टल के माध्यम से तुलनात्मक आधार पर दिनांक 30.10.2023 को क्रय की गयी है। जिनकी न्यूनतम कीमत निम्नानुसार हैः–

शौचालय – कुल लागत राशि रू. 249600 प्रतिनग / 31200

Urinal – कुल लागत राशि रू. 249520 प्रतिनग / 31190

उपरोक्त दोनों सामग्री एक ही नेचर की हैं। दोनों के क्रय की स्वीकृति एक साथ ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गयी है। यदि दोनों की स्वीकृति एक साथ ली जाती तो लागत रू. 5.00 लाख हो जाती, जोकि राशि रू. 2.50 लाख से अधिक होने से म.प्र. भण्डार क्रय नियम की कंडिका–10.1.1 अनुसार उक्त का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जिसके भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से 02 पृथक–पृथक स्वीकृति कर क्रय किया गया। Financial Approval Sanction Order (With Product Details and Specification), Contract (With Product Details and Terms and Conditions) आदि दस्तावेज नही पाये गये। बिना Third Party Inspection Report के बिना गुणवता प्रमाण पत्र के सामग्री को क्रय एवं NABL Test Report जो कि टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शर्तो में उल्लेखित थी के बिना ही भुगतान किया जाना पाया गया।

म.प्र. वित्त एवं लेखा नियम 2018 एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के उल्लंघन पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

9. यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा परिषद के विशेष सम्मिलन दिनांक 18.05.2023 के प्रस्ताव क्रं. 23 के द्वारा वर्ष 2023–24 के मरम्मत/संधारण कार्यो में लगने वाली स्ट्रीट लाईट हेतु विद्युत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया गया।

तद्क्रम में दिनांक 28.06.2023 को जेम पोर्टल के माध्यम से बिड लगाई गई। बिड में निम्न सामग्रियॉ दर्शाई गईः–

S.N.	Description of Goods	Quantity	Parameter/ Specification रखा गया अथवा नहीं
1	Power saver Tube 24 Watt.	4000 PCS	नही
2	Power saver Choke 2x24 .	1000 PCS	नही
3	Power saver Street Light Fixtures 2x24 Tape Roll GM.	100 NOS	नही

4	Tape Roll GM	500 PCS	नही
5	Wire 1.5 MM SC Alluminium	10000 FEET	नही
6	Relay	5 NOS	नही
7	Flood Light 150 Watt	13 NOS	नही
8	Flood Light 200 Watt	12 NOS	नही
9	Clamp	200 PCS	नही
10	Power Saver Rod Holder	2000 PCS	नही

परीक्षण उपरांत निम्नांकित अनियमितताऐं किया जाना परिलक्षित हुआ

- म.प्र.शासन सूक्ष्य, लघु और मघ्यंम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रं. एफ 9–20/2021/अ–73 भोपाल दिनांक 13.01.2023 में प्रावधानित किया गया है कि रूपये 5.00 लाख से अधिक की समग्री जेम पोर्टल के मध्यम से खरीदा जाने पर जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रूपये 5.00 लाख से अधिक है वहां उपरोक्त (स) के अतिरिक्त कम मे कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में अथवा जेम (GeM)/ www.mptenders.gov.in पर परामर्शदाताओं की रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा।

  नियमो का उल्लंघन कर निकाय के द्वारा समाचार पत्रो में विज्ञापन का प्रकाशन नही करवाया गया, यदि समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करवाया गया होता तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती तथा दरे कम प्राप्त होती व ऊंची दर पर सामग्री क्रय न करना पड़ता और न ही निकाय को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती।

- Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure Procurement Policy Division,New Delhidss ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 02.04.2019 एवं General Terms and Conditions of GeM 3.0 (Version 1.10). 2 (xi) Mandatory है कि–

  (अ) किसी सामग्री को MRP से कम से कम 10 प्रतिशत कम दर पर क्रय किया जाना होता है।

  परन्तु निकाय के द्वारा नियमो का उल्लंघन कर MRP से 10 प्रतिशत कम दर पर सामग्री क्रय न कर ऊंची दर पर सामग्री क्रय किया जाना पाया गया, जिसके कारण निकाय को 10 प्रतिशत कम दर के मान से कम से कम राशि रूपये 1,60,855.00 की आर्थिक क्षति हुई है।

  (ब) कम से कम 03 निर्माताओं अर्थात् निर्माता कम्पनियों को भी निविदा में भाग लेना Mandatory होता है।

  परन्तु निकाय के द्वारा नियम का उल्लंघन कर, बिना किसी निर्माता कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करवाये ही सीधे सप्लायर से सामग्री ऊँची दरो पर क्रय किये जाने से निकाय को लगभग राशि रू. 4,82,565.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी जाना परिलक्षित हुआ है।

  (स) क्रय सामग्री पर सप्लायरको कम से कम एक वर्ष की गारंटी/वारंटी दिया जाना Mandatory होता है। परन्तु निकाय के द्वारा बिना गारंटी/वारंटी के सामग्री क्रय किया जाना पाया गया। जेम के नियमो का उल्लंघन कर सामग्री क्रय किया जाना पाया गया।

- निकाय में पदस्थ विद्युत कार्य के विशेषज्ञ विद्युत यंत्री (उपयंत्री) को बायपास कर, मेकेनिकल यंत्री (उपयंत्री) के माध्यम से, बिना किसी Technical Parameter निर्धारण के सामग्री क्रय किया जाना पाया गया है। निकाय द्वारा विद्युत कार्य के विशेषज्ञ विद्युत यंत्री को बायपास किए

जाने से बिना किसी Technical Parameter / Specification के सामग्री क्रय किये जाने से मानक सामग्री क्रय न कर अमानक स्तर की सामग्री क्रय किए जाने तथा गंभीर अनियमितताएं कर निकाय को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना परिलक्षित हुआ है।

- Flood Lights 150 वॉट को क्रय किये जाने का उल्लेख बिड में किया गया है, परन्तु बिड में यह स्पष्ट उल्लेख नही किया गया कि Flood Lights 150W, LED सोडियम या मरकरी Luminaries with Total Rating Watts Min. and Total Lumens Min. और किस मापदण्ड व किस गुणवत्ता, किस बॉडी के मटेरियल की सामग्री खरीदा जाना है का स्पष्ट उल्लेख नही पाया गया।
- बिना Third Party Inspection Report के बिना गुणवता प्रमाण पत्र के, सामग्री को क्रय उपरांत भुगतान किया जाना पाया गया, यह गंभीर अनियमितता है।
- NABL Test Report लेना टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शर्तो में उल्लेखित था, के बिना ही भुगतान किया जाना पाया गया।
- Financial Approval, Sanction Order (With Product Details and specification), Contract (With Product Details and Term and Conditions) आदि दस्तावेज नस्ती में नही पाये गये।

इस प्रकार जेम पोर्टल के माध्यम से निकाय द्वारा बिना Technical Parameter के अधिक दरो पर नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्रय किये जाने से निकाय को लगभग राशि रू 4,82,565.00 की आर्थिक क्षति हुई है।

सामग्री क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही में म.प्र. वित्त एवं लेखा नियम 2018 एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

10. यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा विभिन्न कार्यों में संलग्न लगभग 50 वाहन, जो 2021 की तुलना में कुछ अधिक है, में मरम्मत तथा ईंधन पर होने वाले व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा वाहन मरम्मत में कुल व्यय रूपये 21,93,702/– था। आपके पदभार ग्रहण करने के पश्चात वर्ष 2022 में वाहनों की मरम्मत पर व्यय बढ़कर रूपये 32,86,627 तथा वर्ष 2023 में रूपये 33,44,985 हो गया। मरम्मत पर हुये व्यय की वृद्धि के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में वाहन मरम्मत व्यय में लगभग 50 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि वाहनों की संख्या में इस अनुपात में वृद्धि बहुत कम है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन का व्यय रूपये 112.67 लाख था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 201.80 लाख तथा वर्ष 2023 में रुपये 217.23 लाख हो गया है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में डीजल एवं पेट्रोल मद पर किए जाने वाले व्यय में 79 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 92 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होना पाया गया है, जो अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक हैं।

जांच में वाहनो के मीटर बंद पाये गये हैं। लॉग बुक में मीटर रीडिंग अंकित होना नहीं पाया गया है। बंद वाहनों पर भी डीजल/पेट्रोल की खपत बताई गई है। जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शासकीय यात्रा के नाम पर कुछ निजी वाहनों में भी डीजल/पेट्रोल डलवाया गया है, जिससे डीजल/पेट्रोल व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।

जांच समिति के समक्ष निकाय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 एवं 2023 में ईंधन खपत में अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में कोई समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया है। जांच प्रतिवेदन से ऐसा परिलक्षित होता है कि बंद पड़े वाहनों पर भी ईंधन खपत दिखाया गया है तथा अनियमित रूप से निजी वाहनों पर नगर पालिका से डीजल/पेट्रोल प्राप्त किया गया है, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

11. यह कि उक्त पदावधि के दौरान आपके द्वारा आयोजित पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मनमाने ढंग से वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों की सीमा से परे जाकर अनियमित रूप से प्रस्ताव रखे गए हैं तथा पारित कराये गये हैं। पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 में वर्णित प्रक्रिया, प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

12. यह कि आपकी उक्त पदावधि के दौरान प्रायवेट बस स्टैंड में वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु, जो विगत 4 वर्षों से विभागीय तौर पर की जा रही थी, ठेके के माध्यम से किए जाने का निर्णय परिषद संकल्प क्रं. 31 दिनांक 03.03.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022–23 तक बस स्टैंड वाहन पार्किंग वसूली विभागीय तौर पर की जा रही थी, जिसका वर्ष वार वसूली का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	वित्तीय वर्ष	राशि(रू.)	अन्य विवरण
1.	2019–20	10,39,260	कोविड–19 के कारण बसें बंद होने से वसूली कम हुई।
2.	2020–21	2,30,210	निरंक
3.	2021–22	4,95,220	निरंक
4.	2022–23	6,15,640	01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक –09 माह

पार्किंग शुल्क वसूली ठेका पद्धति से किये जाने के परिषद निर्णय के तत्काल पश्चात दिनांक 03.03.2023 को ही नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा निविदा आमंत्रण की सूचना जारी की गई। जारी सूचना अनुसार दिनांक 17.03.2023 शाम 5:00 बजे तक का समय निविदा प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया। निविदा आमंत्रण सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 21,78,000/– तथा अमानत राशि रुपए 2,18,000/– निर्धारित की गई।

जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम निविदा आमंत्रण की सूचना किसी भी समाचार–पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई तथा निविदा आमंत्रण की द्वितीय सूचना जारी की गई। उक्त सूचना का प्रकाशन भी नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार–पत्रों में नहीं कराया गया।

जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में कोई ऑफर प्राप्त नहीं होने से निकाय द्वारा दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करते हुए दिनांक 25.04.2023 तक प्रस्ताव/ऑफर चाहे गये। उक्त सूचना वित्तीय वर्ष 2023–24 के 11 माह (मई 2023 से मार्च 2024) की अवधि हेतु जारी की गई। अभिलेखों में निविदा सूचना का प्रकाशन नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार–पत्रों में कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। 11 माह के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 19,97,000/– निर्धारित की गई थी।

जारी निविदा अनुसार दो निविदा ऑफर प्राप्त हुये, जिसमें उच्चतम राशि रुपये 8,05,000/– निविदाकार श्री शोएब खान की प्राप्त हुई, जिसकी स्वीकृति पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रदान की गई।

जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बस स्टैंड पार्किंग शुल्क ठेके की नीलामी हेतु जारी निविदा सूचना में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम 2018 के नियम 91 के उपनियम (1) के खंड (ग) में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों, सामग्रियों एवं सेवाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस से कम नहीं होने तथा दूसरी बार यह आगे निविदा पश्चात वृद्धि आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस होने के प्रावधान वर्णित है।

यही नहीं नियम 91 के नियम (2) में निविदा के दूसरे आमंत्रण के प्रकरण में समय–सीमा को घटाने के अधिकार मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 239 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार प्राधिकारी को हैं।

आपके द्वारा नियमों में वर्णित उपरोक्त प्रक्रिया का कहीं भी पालन किया जाना नहीं पाया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः दूषित एवं अपारदर्शी रही है। जांच प्रतिवेदन से ऐसा आभास होता है कि जानबूझकर व्यक्ति विशेष को पार्किंग शुल्क ठेका देने के लिए निविदा प्रक्रिया में नियमों में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा निर्धारित राशि रुपये 19,97,000/– से बहुत कम राशि रुपये 8,05,000/– में पार्किंग शुल्क ठेका की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे नगर पालिका परिषद सिवनी को रुपये 11,92,000/– की आर्थिक हानि हुई है, जिसके लिए निकाय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

13. यह कि उक्त पदावधि के दौरान आपके द्वारा नगर पालिका परिषद सिवनी में परिषद द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 03 के अनुसार अस्थायी दखल की वसूली ठेका पद्धति से किए जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2023–24 के लिए ठेके की राशि रुपये 19,45,800/– निर्धारित की गई। दिनांक 03.03.2023 को प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि सील बंद निविदाएं दिनांक 20.03.2023 समय 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। दिनांक 20.03.2023 तक निविदाएं प्राप्त न होने की दशा में समय–सीमा को दिनांक 21.03.2023 तथा 24.03.2023 किया गया। उपरोक्त निविदा आमंत्रण की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र संवाद कुंज सिवनी के दिनांक 14.03.2023 के अंक में प्रकाशित कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम निविदा आमंत्रण में कोई निविदा फॉर्म प्राप्त नहीं होने से विस्तारित समय–सीमा के अंदर ही दिनांक 21.03.2023 को द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार–पत्र दिव्य एक्सप्रेस में दिनांक 23.03.2023 को कराया गया, जिसमे मात्रं एक दिवस की समय–सीमा संभावित निविदाकारों को प्रदान की गई। द्वितीय निविदा आमंत्रण में उच्चतम ऑफर रुपये 15,11,888/– श्री पवन कुमार पिता श्री श्री रमेश कुमार का प्राप्त हुआ, जिसे निर्धारित राशि से कम होने के कारण पी.आई.सी. द्वारा निरस्त किया गया तथा तीसरी बार निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये। तदुपरांत तृतीय बार अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका (वित्तीय वर्ष 2023–24) की निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें चार ऑफर प्राप्त हुए, जिसमें अधिकतम ऑफर श्री शोएब खां आत्मज श्री नवाब खां का रुपये 15,31,000/– प्राप्त हुआ, जिसे पी.आई.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

जांच प्रतिवेदन अनुसार अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका (वित्तीय वर्ष 2023–24) में नियमों में वर्णित प्रावधान अनुसार ई–टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशन में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी तथा दूषित थी तथा ऐसा आभास होता है कि व्यक्ति विशेष को अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका देने के उद्देश्य से दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका के लिए निर्धारित राशि रूपये 19,45,800/– थी, जिसकी अनदेखी करते हुए श्री शोएब खां को मात्र राशि रूपये 15,31,000/– में ठेका दिया गया तथा नगर पालिका परिषद सिवनी को रुपये 4,14,800/– की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। अधिकतम ऑफर की स्वीकृति भी परिषद के स्थान पर पी.आई.सी. से प्राप्त की गई, जो विधिसम्मत नहीं है, जिसके लिए निकाय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी पूर्णतः उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

14. यह कि आपकी उक्त पदावधि के दौरान वर्ष 2024–25 के लिए भी अस्थायी दखल ठेका वसूली की नीलामी की कार्यवाही की गई। उक्त नीलामी में भी मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः दोषपूर्ण थी। जांच प्रतिवेदन अनुसार ठेकेदार से अनुबंध संपादित करना तथा निविदा शर्तों के अनुसार राशि जमा करना भी नहीं पाया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेके की निर्धारित राशि निकाय में जमा करना भी नहीं पाया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेके की निर्धारित राशि निकाय में जमा नहीं होने से निकाय को आर्थिक हानि होने की सम्पूर्ण संभावना है तथा अनुबंध नहीं करने से शासन को स्टाम्प शुल्क की हानि की भी संभावना है। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

उल्लेखनीय हैं कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 में अध्यक्ष की शक्तियॉ तथा कर्तव्य वर्णित किये गये हैं। उक्त धारा के खण्ड (क), (ख) में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैं :–

धारा–51. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(1) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) जब तक किसी युक्तियुक्त कारण द्वारा निवारित न हो जाए, परिषद के समस्त सम्मिलनों, में अध्यक्षता करें और तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे सम्मिलनों में कामकाज के संचालन का विनियमन करें,

(ख) परिषद के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखे और ऐसे कार्यपालन कृत्यों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे आवंटित किए जाए, पालन करें,

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के रूप में आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का विधि अनुसार निर्वहन करने में तथा नगर पालिका परिषद सिवनी तथा नगर के हितों का संरक्षण करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण उपरोक्तानुसार गंभीर अनिमितताएं कारित हुई हैं जिसके लिए आप पूर्णतः उत्तरदायी हैं तथा शासन की राय में आपका नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में बने रहना वांछनीय नहीं है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाये तथा निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली की जाये। उक्त संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर सूचना–पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकते

हैं। निर्धारित समयावधि में आपका प्रतिवाद उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना एवं लगाये गये आरोप मान्य है, तब एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.के. कार्तिकेय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं अवास विभाग,

पृ. क्रमांक 2946 / 2101340 / 2024 / 18–3

भोपाल दिनांक 01 / 10 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त सूचना पत्र तामील कराकर तीन दिवस की समय–सीमा में प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त कर प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि अनावेदक की ओर से चाहे जाने पर आरोप से संबंधित अभिलेखों की प्रति उन्हें तत्काल उपलब्ध करावें।
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग